


राजस्थान सरकार
निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर
क्रमांक एफ 23(45) लेखा/निकाशि/मुउशिछायो/2012-13/15-23

दिनांक 21-12-12

परिपत्र

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2012 के बिन्दु संख्या 5 (2) में माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख के स्थान पर 2.50 लाख प्रतिस्थापित की जाती है। उपरोक्त स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) राजस्थान सरकार से आईडी संख्या 101204677 दिनांक 19.12.12 द्वारा अनुमोदित है।


(नवीन जैन)


निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

क्रमांक एफ 23(45) लेखा/निकाशि/मुउशिछायो/2012-13/15-23

दिनांक 21-12-12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा।
6. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त नोडल अधिकारी।
8. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय
9. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईट पर अपलोड हेतु।


(डॉ. सी.एम. खटीक)
संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)